

15/7/19 पत्रावली आज राजस्व क्लर्क कोर्ट सेडवा
में पेश हुई। ~~प्रार्थी~~ धोलाराम सेडवा में
उपस्थित होकर उक्त शस्त्र प्रकरण में
सम्पर्ण की गई भूमि की दस्तावेज तथा नक्शा पेश किया तथा निवेदन किया
कि उक्त प्रकरण में अब भूगो के कारणा
का औचित्य नहीं रहा किता इत प्रार्थना
पत्र का स्वार्थित किया जाये। उक्त शस्त्र
प्रकरण में भूमि सम्पर्ण होने के कारण
प्रार्थना पत्र स्वार्थित किया जाता है। सम्पर्ण
की गई भूमि की दस्तावेज सेडवा
को गौर नुअकिग शस्त्र दर्ज करने का
आदेश दिया जाता है। पत्रावली के संस्तु शस्त्र
दस्तावेज दस्तखत दफ्तर हो।

धोलाराम

उपखण्ड अधिकारी
चौहट